न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :– रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 2023/1255 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक– 18.08.2025

अनवान

1. महेन्द्रप्रतापसिंह पिता सोहनसिंह जी जाति डुलावत राजपूत उम्र 33 वर्ष निवासी खेतपाल का गुडा, हाल 548 पाठो की मंगरी, सुभाषनगर दलाल पेट्रोल पम्प के पिदे तहसील गिर्वा, जिला–उदयपुर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. पारस कुंवर पत्नि प्रेमसिंह जी जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी खेतपाल का गुडा, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद
2. कमला कुंवर पत्नि किशनसिंह जी जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी खेतपाल का गुडा, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व आदेश 39 नियम 01,02 सी पी सी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री गणपत कोठारी, अधिवक्ता प्रार्थी।

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व आदेश 39 नियम 01,02 सी पी सी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवदेन किया है कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का एक वाद आप न्यायालय में सुदृढ एवं ठोस आधारों पर पेश किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता प्राप्त करने होने की पूर्ण संभावना है। राजस्व ग्राम खेतपाल का गुडा, पटवार हल्का नेडच, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त, स्वामित्व एवं आधिपत्य की निम्न विवरण की कृषि भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्न हैः–

खाता संख्या नया 68 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 5623 रकबा 3.0857 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 3.0857 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 58/183 व 43/224 निहित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमियां संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य में है तथा विपक्षी संख्या दो बिना विभाजन कराये निर्माण कार्य करने पर उतारू है तथा मना करने पर लडाई–झगडा करने पर उतारू है इसलिये प्रार्थी उक्त कृषि भूमियों में अपना हक हिस्सा संयुक्त नहीं रखना चाहता है इसलिये प्रार्थी अपना हिस्सा उक्त आराजीयात् में से विभाजन कराने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या एक एवं दो तथा वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या तीन से लगायत् ग्यारह के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की होकर उक्त कृषि भूमियों का संयुक्त रूप से उपयोग–उपभोग हो रहा है तथा उक्त कृषि भूमियां अविभाजित कृषि भूमियां होकर प्रार्थी का उक्त कृषि भूमियों के प्रत्येक इंच पर समान हक अधिकार है। उक्त कृषि भूमि का कोई विधिवत् विभाजन नहीं हुआ तथा विपक्षी संख्या एक व दो उक्त अविभाजित कृषि भूमि में प्रार्थी की बिना सहमति के उक्त कृषि भूमियों पर निर्माण कार्य कर रहे है जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त कृषि भूमियों का न तो अभी तक विधिवत् रूप से मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है तथा न ही उक्त कृषि भूमियों का भूमि रूपान्तरण नहीं हुआ तथा विपक्षी संख्या एक व दो कानुन को हाथ में लेकर जबरदस्ती कब्जा करने के आशय से निर्माण कार्य करने पर उतारू है जबकि उक्त कृषि भूमियों पर प्रार्थी का हक–हिस्सा निहित है तथा किसी भी संयुक्त खातेदार को बिना सहमति के संयुक्त कृषि भूमि पर निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त वादग्रस्त कृषि

सहायक कलक्टर, नाथद्वारा

भूमियां संयुक्त कृषि भूमियां है तथा विपक्षी संख्या एक, दो बिना विभाजन कराये निर्माण कार्य कराने पर उतारू है इसलिये उपरोक्त कारणों से प्रार्थी को विपक्षी संख्या एक, दो के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 26.01.2023 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण संख्या एक,दो उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों पर जबरदस्ती बिना विभाजन कराये निर्माण कार्य कर रहे है जिस पर प्रार्थी ने मना किया तो लडाई–झगडा करने पर उतारू हो गये इसलिये प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण है क्योंकि उक्त वादग्रस्त कृषि संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की है तथा प्रार्थीगण का भी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों के प्रत्येक इंच भूमि पर समान रूप से अविभाजित होने के कारण हक अधिकार निहित है तथा प्रार्थी भी उक्त कृषि भूमि का संयुक्त काश्तकार है तथा प्रार्थी को भी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने का समान अधिकार है इसलिये प्रथम दृष्ट्या प्रकरणर प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी संयुक्त खातेदार होने के कारण उक्त भूमि का समान रूप से उपयोग उपभोग कर रहा है तथा विपक्षीगण अविभाजित कृषि भूमि पर मनचाही तरीके से प्रार्थी के बिना सहमति के निर्माण कार्य कर लेते है तो प्रार्थी को अत्यधिक असुविधा होगी तथा विपक्षीगण संख्या एक व दो को कोई असुविधा नहीं होने वाली है तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में कि विपक्षीगण संख्या एक व दो निर्माण कार्य कर लेते है तो प्रार्थी को हटवाने में अनेक मुकदमेबाजी करनी पडेगी तथा प्रार्थी अपने हक अधिकारों से वंचित रह जायेगा इसलिये तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में विपक्षी संख्या एक व दो के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावें कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो में वर्णित आराजीयात् संख्या 5623 रकबा 3–0857 है. भूमि में जब तक विधिवत् रूप से विभाजन नहीं हो जाए तब तक विपक्षी संख्या एक व दो किसी प्रकार का निर्माण कार्य उक्त आराजीयात् में नहीं करें तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा एवं अवरोध उत्पन्न नहीं करें तथा उक्त कार्य स्वंय मजदुर एवं कारीगर व परिवारजनों से भी करावे तथा दौराने कार्यवाही विपक्षी संख्या एक व दो ऐसा कर देवे तो स्थिति पूनः यथावत् कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण एवं उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में उनके विरूद्व एक–तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया की वादग्रस्त आराजीयात् प्रार्थी की सह–खातेदारी भूमि है जिस पर विपक्षीगण द्वारा बिना विभाजन एवं संपरिवर्तन निर्माण कार्य किया जाना प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, साथ ही मौके के फोटोग्राफ्स भी पत्रावली पर प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में अविभाजित भूमि पर विपक्षी द्वारा निर्माण किया जाना न्यायसंगत नहीं होकर, सुविधा, संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम खेतपाल का गुडा, तहसील देलवाडा की वादग्रस्त आराजी संख्या 5623 रकबा 3.0857 है. भूमि पर विपक्षीगण बिना विभाजन एवं संपरिवर्तन निर्माण कार्य नहीं करें एवं प्रार्थी को उसके हिस्से तक की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वंय उत्पन्न करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। इस हेतु विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है अर्थात् विपक्षीगण मौके की वर्तमान यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार हो/नबंर से कम होकर/ दाखिल दफ्तर हो।

(रक्षा पारिक, RAS)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द